

FROM NO-3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत एस0डी0ओ0

मुकाम

सरवाड़

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़  
राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ~~जोपला~~  
किस्म मुकदमा 136 दुरुस्ती इन्द्राज नं. सन् 2018

तरीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए।

न्याय आपके द्वार अभियान -2018 के तहत ग्राम पंचायत ~~जोपला~~  
मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में  
वादी ने प्रार्थना पत्र पेशकर आवेदन पत्र के अनुसार राजस्व  
रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार  
सरवाड़ की कैम्प में ही रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट तहसीलदार  
का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार  
राजस्व रिकार्ड में संवहन से गलत अंकन हो गया है जो शुद्धिकिये  
जाने योग्य हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

आवेदन का नाम व पता	विनोद देवेश
वाद ग्रस्त भूमि का विवरण	शुद्ध जाबल बाला नं- 398
नाम पटवार हल्का	जाबल
भू0अ0नि0 वृत्	जोपला
वर्तमान (अशुद्ध) प्रविष्टि	मनोज
शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।	विनोद डी मनोज

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य  
है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार राजस्व  
रेकार्ड में शुद्ध / दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती  
है। आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर वाद  
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

~~प्रकाश~~  
सदस्य  
राज अदालत  
सरवाड़

अध्यक्ष  
उपखण्ड अधिकारी सरवाड़  
लोक अदालत शिविर  
सरवाड़ (अजमेर)